



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्त्वाधान में
आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत
(अन्तर्गत धारा 19, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)
दिनांक :- 12.03.2022

प्रकरण संख्या
3 / 29 / 2022

तारीख दायर
09.03.2022
बउनवान

तारीख निर्णय
12.03.2022

1. किशनलाल
2. दौलत,
3. बडढन,
4. बाबूलाल,
5. इन्दरराज,
6. सतीश पुत्र स्व० लल्लू जाति धानका निवासी ग्राम शाहपुर तहसील अलवर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर

— अप्रार्थीगण

136 एल.आर.एक्ट

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज०भू०अधि० प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिताजी श्री स्व० लल्लू को दिनांक 16-8-1970 को आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 4 बीघा हाल खसरा नं० 43 रकबा 1.01 है०, वाके रूधं शाहपुर तह० अलवर में आवंटन की गई थी। आवंटी श्री लल्लू का देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण स्वर्गीय श्री लल्लू के जायज वारिसान है। वक्त आवंटन से आवंटनशुदा आराजी पर गैरखातेदार दर्ज है किन्तु सेटिलमेन्ट अधिकारीगण द्वारा अंकन करने पर प्रार्थीगण के पिताजी की जाति धानका के स्थान पर चाकर दर्ज करदी गई। जबकि प्रार्थीगण की वास्तविक जाति धानका है। प्रार्थीगण की जाति धानका का आवंटन आदेश में भी अंकन है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथीगण की जाति चाकर अंकन है उसके स्थान पर हाल राजस्व रिकार्ड में धानका जाति दर्ज करने का अनुतोष चाहा है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपने रिपोर्ट में अंकित किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम रूधं शाहपुर के खाता संख्या 89 के आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 1.01 है० वाके रूधं शाहपुर में आवन्टी के वारिसान का नाम दर्ज रिकार्ड है। आवन्टी का स्वर्गवास हो चुका है। उपरोक्त श्री लल्लू से जाति से धानका था। तहसीलदार अलवर ने प्रार्थी की जाति चाकर के स्थान पर धानका दर्ज करने की अनुषंशा की है।


न/५५
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
अलवर (राज०)


हमने पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार अलवर की अभिषंशा पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न आवन्टन आदेश दिनांक 16.08.1970 के क्रम संख्या 35 पर लल्लू जाति चाकर का अंकन है। आवन्टन आदेश में ही आवन्टन कमेटी ने यह भी अंकित किया है, कि चाकर जाति जो दर्ज की गई है। चाकर कोई कोम नहीं है। नौकरी करते थे उनके आधार पर चाकर कहते हैं। जाति से धानका है। ऐसा सरपंच साहब व प्रधान साहब ने बतलाया है। आवन्टन आदेश के प्रथम पृष्ठ में प्रार्थीगण की जाति चाकर का अंकन है। आवन्टन का अमल राजस्व रिकार्ड में करते वक्त प्रथम पृष्ठ के अनुसार ही जमाबन्दी में अंकन कर दिया गया। उक्त अंकन हाल रिकार्ड तक चला आ रहा है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा आवन्टन आदेश का भली प्रकार अध्ययन करने के पश्चात ही आवन्टन का अंकन राजस्व रिकार्ड करना चाहिए था। किन्तु बन्दोबस्त कर्मचारियों ने मात्र आवन्टन के प्रथम पृष्ठ के आधार पर अंकन कर दिया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार अलवर की अभिषंशा के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0राजस्व अधि0 स्वीकार किया जाता है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2069-2074 ग्राम रूंध शाहपुर खाता संख्या 89, पर खसरा नम्बर 43 रकबा 1.01 है0 वाके रूंध शाहपुर में अंकित गैरखातेदारान की जाति चाकर के स्थान पर धानका दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे।


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
(न्यायिक अधिकारी)


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
(राजस्व अधिकारी)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को लोक अदालत में हमारे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
(राजस्व अधिकारी)
अलवर (राज0)


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
(राजस्व अधिकारी)
अलवर (राज0)